श्री धनिक लाल मंडल : यदि मैं इस सवाल का जवाब न दूं तो यह आपके लिये अच्छा होगा, मालवीय जी । 1977 में उनकी लीज को लैप्स किया गया था । 1976–77 में उन लोगों ने भूख-हड़तालें की थीं, लेकिन आप उनको जमीन नहीं दिलवा पाये, न वह लोग जमीन जुतवा पाये और न फसल लगवा पाये । इमरजेन्सी की दुहाई देने वालों को यह चीज नोट करनी चाहिए कि हम लोगों ने कानून के राज में, जम्हूरियत के राज में, आजादी के राज में उन लोगों को पजेसन दिलवाया, उनको जुतवाया और उनको सारी सुविधायें दी हैं ।

श्री हर्षदेव मालवीय : क्या आप ऐसा कोई कानून बनायेंगे कि अगर कोई काश्तकार किसी हरिजन को, किसी भूमिहीन को, जो जमीन जोतता है, उसकी जमीन से हटायेगा तो उसको 6 महीने की सजा मिलेगी और 100 रुपया जुर्माना होगा । क्या ऐसा कोई कानून आप बनाने वाले हैं ?

श्री धनिक लाल मंडल : माननीय सदस्य को पता होना चाहिए कि जो जमीन का मसला है, वह राज्य सरकारों का है ? माननीय प्रधान मंत्री जी ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि कानून में कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो, या कानून में कोई ऐसी व्यवस्था है, जिसको सुधारने की जरूरत हो, तो उसमें सुधार किया जाये जिससे कि पुलिस को इंटरविन करने का मौका हो जाये ।

श्री हर्षदेव मालवीय : यह तो आपने बहुत सही कहा कि. . .

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश) : इस प्रकार का आलरेडी ला है कि अगर किसी भी हरिजन की जमीन पर कोई कब्जा भी कर ले तो उसका कोई राइट या अथारिटी नहीं होती है ।

श्री हर्षदेव मालवीय : श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह था, यह सही है कि यह मसला प्रादेशिक सरकारों का है, परन्तु कुछ क्षेत्र आपके शासन के अन्तर्गत हैं, परन्तु क्या आप कम से कम दिल्ली और इसी तरह की अन्य जो यूनियन टेरिटरीज जो हैं, उनके लिये इस तरह का कानून पास करेंगे ?

केन्द्रीय सरकार द्वारा यदि कुछ किया जाता है तो उसका सारे भारत पर प्रभाव पड़ता है । केन्द्र तो. . .

श्री धनिक लाल मंडल : हरिजन बेदखल नहीं होंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ।

ANNOUNCEMENT RE GOVERNMENT BUSINESS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KRIPAL SINHA): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 5th December 1977, will consist of: —

1. Consideration and passing of the following Bills as passed by Lok Sabha: —

   (a) The Enemy Property (Amendment) Bill, 1977.

   (b) The Gresham and Craven of India (Private) Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill, 1977.

2. Discussion on the Resolution regarding report of the Railway Convention Committee on Tuesday, the 6th December, 1977.

3. Discussion on the Resolution seeking disapproval of the Banking Service Commission (Repeal) Ordinance, 1977, and consideration and passing of the Banking Service Commission (Repeal) Bill, 1977, as passed by Lok Sabha.

[Dr. Ram Kripal Sinha]

4. Consideration and passing of the following Bills as passed by Lok Sabha: —

(i) The Payment of Bonus (Amendment) Bill, 1977.

(ii) The Companies (Amendment) Bill, 1977.

SHRI N. G. RANGA (Andhra Pradesh): What about the Anti-Defection Bill? For a long time they have been talking about this—the last Government as,well as the present Government? How long have we to wait for the Bill to be introduced, so that we can consider it? The Law Minister has been boasting last time that he had got a number of Bills ready in his hands and that he was only waiting for the next session. This has come and already three weeks have passed and there seems to be no Bill at all to be introduced in this House.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA (Orissa): Sir, yesterday we had got three legislative Bills. When the Advocates (Amendment) Bill was being diseussed, you were kind enough to call the Minister while so many Members were not called for want of time. But later on, after the other two measures were discussed and passed, we adjourned at 4.15 p.m. The Business Advisory Committee probably thought that the Advocates (Amendment) Bill would take a certain period of time and the other Bills would take a little more. But we found that actually the other Bills took hardly any time at all and in fact we adjourned at 4.15 p.m. Usuall-the House sits up to 5 p.m. at least. I would suggest that in future the Business Advisory Committee takes into consideration this experience. This will not deprive intending Members from participating.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मेरा आप से एक विशेषतौर पर निवेदन यह है कि आप कृपया सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए अधिक समय की व्यवस्था करें। एक बिल के लिए एक घंटा या आधा घंटा का समय दे दिया जाता है, आप जानते हैं इस हाउस के 2 0 सदस्य हैं, यह कहां तक उचित है। बैंकिग बिल है, कन्वेंशन कमेटी की रिपो है, एक घंटा या आधा घंटा इसके लिए दिया गया है। मैं यह चाहता हूं कि कम से कम एक दिन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए आप से प्रार्थना है कि चूंकि आप चेयरमैन हैं ऐसी व्यवस्था की जाए कि सदस्यों को और अधिक समय मिल सके।

श्री उपसभापति : माननीय सदस्य खुद जानते हैं समय निर्धारित करने की प्रक्रिया . .

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : कमेटी के आप चेयरमैन हैं और माननीय मंत्री जी भी सदस्य हैं और भी सदस्य इसमें हैं। आप इस बात का ध्यान रखें कि सदस्यों को और समय मिला करे। माननीय पंडित जी भी बैठे हुए हैं, वें भी इसकी ताईद करेंगे।

श्री देवराज पार्टील (महाराष्ट्र) : इसके लिए तो हमने पहले से ही टाइम मांगा है। आप अपने लीडर से जा कर के कहें, वह प्रस्ताव रखें। हम टाइम मांगते हैं तो शार्ट कर देते हैं। हम तो हमेशा यह चाहते हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Bhupesh Gupta.... Not here. Mr. Vithal Gadgil.

THE TRADE AND MERCHANDISE MARKS (AMENDMENT) BILL, 1917

SHRI VITHAL GADGIL (Maharashtra) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Trade and Merchandise Marks Act, 1958.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI VITHAL GADGIL: Sir, I introduce the Bill.